अकादमी विभाग

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक की कार्यवृत्त
दिनॉक 20.09.2010

स्थान – विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्या परिषद् की चतुर्थ स्थगित बैठक दिनांक 20.09.2010 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. ए. आर. चन्द्राकर** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
   बिलासपुर

2. **श्री हरीश केडिया** – सदस्य
   अध्यक्ष
   छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (विद्या परिषद द्वारा उद्योग विषय विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत)

3. **डॉ. अशोक पारेख** – सदस्य
   अध्यक्ष
   छ.ग.निजी विश्वविद्यालय विनायामक आयोग
   रायपुर (छ.ग.)

4. **डॉ. बी.पी.साहू** – सचिव
   कुलसचिव
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
   बिलासपुर (छ.ग.)

बैठक में सर्वप्रथम कुलपति डॉ. ए. आर. चन्द्राकर द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया –

प्रस्ताव क्रं 1 विद्या परिषद् की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा तृतीय बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्न संशोधन सहित किया गया –

1. **प्रस्ताव क्रमांक 02** अकादमिक कैलेण्डर के पालन–प्रतिवेदन में बी.ए./बी.एस.–सी./बी.काम. के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.ए./एम.एस.–सी. के पूर्व एवं अंतिम वर्ष की पाठ्यसामग्री अनुपलब्ध होने के कारण इनका वितरित नही किया जा सका

है साथ ही पिछली परीक्षाओं के परिणाम जारी नही होने के कारण आगे की कक्षाओं में प्रवेश नही हो पाया है।

2. **प्रस्ताव क्रमांक 03 में** कार्यक्रम समन्वयक (माइन्स सर्वेइंग) के पत्र दिनांक 20.09.2010 पर विचार किया गया। पत्र में कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उल्लेखित किया गया है कि इस विषय की पाठ्यसामग्री बाजार में उपलब्ध नही है, जिससे छात्रो को अभी तक पाठयसामग्री वितरित नही की जा सकी है। विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की फीस वापस कर दी जाए।

3. **प्रस्ताव क्रमांक 4** में यह निर्णय लिया गया कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में बी.एफ.ए. पाठ्यक्रम संचालित है एवं इस विश्वविद्यालय में छात्र प्रवेश संख्या भी 30 से कम है। अतः प्रवेशित छात्र–छात्राओं से ली गई फीस वापसी करते हुये यह पाठयक्रम स्थगित रखा जावें।

4. **प्रस्ताव क्रमांक 9** में निर्णय लिया गया कि छ.ग. निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अभिमत के अनुसार कि अनुबंध नही किया जावें, से प्रकरण नस्तीबद्व कर दिया गया।

5. **प्रस्ताव क्रमांक 10** में निर्णय लिया गया कि आपात स्थिति में संक्षिप्त निविदा आमंत्रित कर कार्य संपादित किया जावें।

6. **प्रस्ताव क्रमांक 13** मे अवगत कराया गया कि पी.जी. डिप्लोमा इन योग विज्ञान में छात्र प्रवेश संख्या 30 से कम होने के कारण छात्रो को फीस वापस कर दी गई है।

प्रस्ताव क्रं 2 – विश्वविद्यालय में गुणवत्ता बनाए रखने बाबत्।

निर्णय – विद्या परिषद में उपरोक्त विषय पर चर्चा हुई। सम्माननीय सदस्य डॉ अशोक पारेख का सुझाव था कि –

1. विश्वविद्यालय द्वारा क्रय की गई पाठ्यसामग्री प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये।
2. क्रय की जाने वाली पाठय सामग्री सिलेबस के अनुरूप हो।
3. पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्र योग्य प्राध्यापकों के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिये।
4. अधिनियम/अध्यादेशों के अनुरूप ही निर्धारित समय में योग्य प्राध्यापकों के पैनल तैयार कर संपर्क कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिये।

5. परीक्षा समय पर हो एवं परीक्षा परिणाम निर्धारित समय पर घोषित हो।

6. स्तरीय शोध के लिए वर्कशाप आयोजित किए जाएं।

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश केडिया का सुझाव था कि –

1. प्रयास की जानी चाहिये कि अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के अनुरूप ही पाठयक्रम तैयार किए जाएँ जिससे उपाधि को मान्यता मिले तथा छात्रों को रोजगार मिले।

2. विश्वविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

प्रस्ताव क्रं 3 -- परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग पर विचार।

निर्णय -- विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस संस्था को विश्वविद्यालयों का परीक्षा परिणाम तैयार करने का अनुभव हो, उसी संस्था से परीक्षा परिणाम तैयार कराया जाय।

प्रस्ताव क्रं 4 घोषित परीक्षा परिणाम की सूचना।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नही हुए है, उन्हे यथाशीध्र घोषित किया जाय।

प्रस्ताव क्रं 5 अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2009–2010 एवं 2010–2011 पर विचार।

निर्णय -- विद्या परिषद द्वारा अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2010–2011 के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव कं. 6 आपात विशेष बैठक दिनांक 12.05.2010 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णय कार्यपरिषद द्वारा दोनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. विशेष परिस्थिति मानते हुये आगामी एम.ए. (अंतिम) हिन्दी में पॉच विषयों की परीक्षा ली जावें।
2. छात्र हित में त्रुटि सुधार करते हुये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बी.ए./बी.एस–. सी/बी.काम. अंतिम वर्ष की आगामी परीक्षा में शेष विषयों की परीक्षा ली जावें।

प्रस्ताव कं. 7 रामायण प्रबोध के प्रस्तावित अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय अध्यादेश Certificate Programme in Ramayana Prabodh (CRP) को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 8 पीजीडीसीए एवं डीसीए पाठयक्रमों से सबंधित क्रमशः अध्यादेश क्रं. 07 एवं 06 Examination Scheme पर विचार।

निर्णय विद्या परिषद द्वारा पीजीडीसीए एवं डीसीए के Examination Scheme का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्रं. 9 विश्वविद्यालय के 25 किलोमीटर की दूरी में संचालित अध्ययन केन्द्रों को बंद/स्थगित करने के संबंध में विचार।

निर्णय निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु कम छात्र संख्या वाले अध्ययन केन्द्रों को स्थगित किया जाए। विशेष परिस्थिति में परिवर्तन भी संभव होगा।

प्रस्ताव क्रं. 10 विद्या परिषद् से संबंधित परिनियम क्रमांक 04 में संशोधन पर विचार।

निर्णय प्रस्ताव मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 11 क्रय किये गये एम.ए. पूर्व अंग्रेजी की पाठयसामग्री पर विचार।

निर्णय सत्र 2009–2010 में नामांकित एम.ए. पूर्व अंग्रेजी के छात्र–छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा क्रय की गई पाठयसामग्री पर एवं विषय–विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर निर्णय लिया गया कि एम.ए. पूर्व अंग्रेजी की अमानक स्तर के पाठ्यसामग्री के क्रय आदेश को तत्काल रद्द किया जावें।

अंत में अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

20.9.10

(डॉ. बी.पी.साहू)
कुलसचिव

Acharekar

(डॉ. ए.आर. चन्द्राकर)
कुलपति